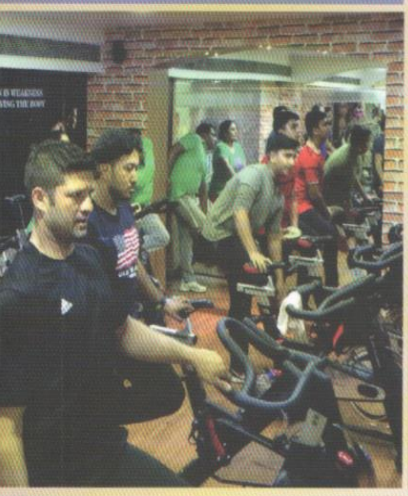

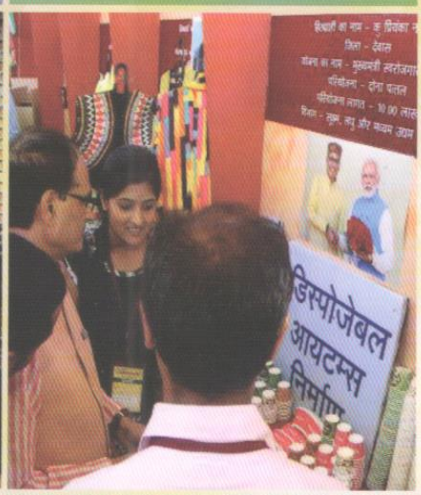

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

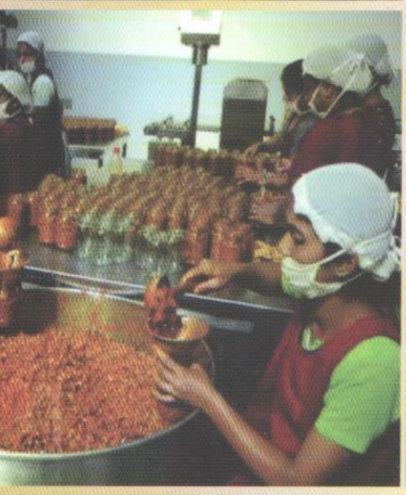

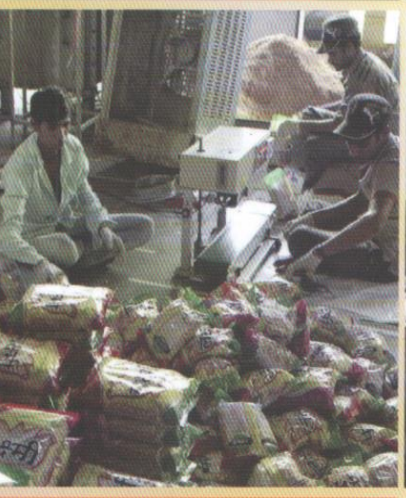

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

राज्य स्तरीय
स्वरोज़गार सम्मेलन 2016

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

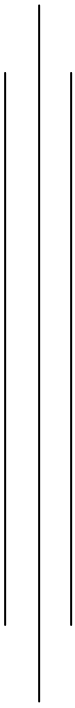

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-2017

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय		पृष्ठ क्रमांक
01	प्रभारी मंत्री एवं सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों/ विभागाध्यक्षों की जानकारी		01
02	**भाग - एक**	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी, विशेषताए, महत्वपूर्ण सांख्यिकी	02-25
03	**भाग - दो**	बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	26-29
04	**भाग - तीन**	राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	30-37
05	**भाग - चार**	सामान्य प्रशासनिक विषय	38-47
06	**भाग - पाँच**	अभिनव योजना	48
07	**भाग - छः**	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	49
08	**भाग - सात**	सारांश	50-51
09	**भाग - आठ**	महिलाओं के लिए किए गए कार्य	52

विभाग का नाम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रभारी मंत्री	माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान	(दिनांक 05.04.2016 से 02.07.2016 तक)
	माननीय श्री संजय पाठक	(दिनांक 03.07.2016 से निरन्तर)
प्रमुख सचिव	श्री व्ही. एल. कान्ता राव	(दिनांक 05.04.2016 से निरन्तर)
उप सचिव	श्री अजय सिंह गंगवार	(दिनांक 06.06.2016 से निरन्तर)
	श्री पर्वत सिंह	(दिनांक 06.05.2016 से निरन्तर)
	श्री अनिल भारतीय	(दिनांक 06.05.2016 से 31.05.2016)
अवर सचिव	श्री डी. पी. अगरैया	(दिनांक 06.05.2016 से 31.05.2016)
	श्री राजीव जैन	(दिनांक 05.04.2016 से निरंतर)
	(विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी)	
	श्रीमती शालिनी सिन्हा	(दिनांक 02.02.2017 से निरंतर)

विभागाध्यक्ष

उद्योग आयुक्त	श्री व्ही. एल. कान्ता राव	(दिनांक 07.06.2014 से निरंतर)

भाग - एक

विभागीय संरचना

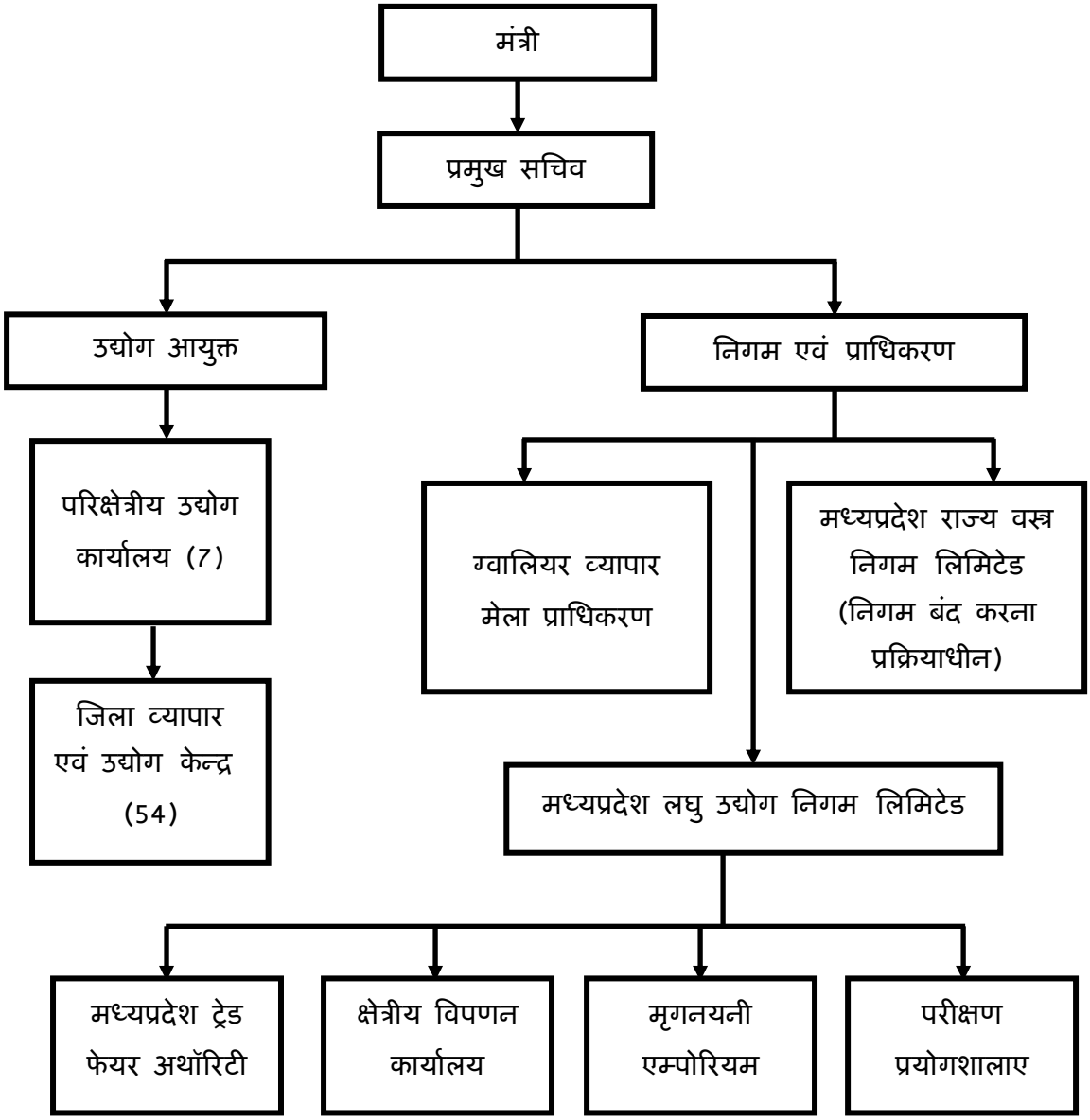

सामान्य जानकारी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते है। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग का गठन 5 अप्रैल, 2016 को किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य एमएसएमई के लिए ऐसी नीतियां बनाना है, जो कि उन्हें विकसित करने के साथ-साथ सक्षम भी बनाए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की मदद से एमएसएमई मध्य प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का कार्य करते है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामान्य ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करता है। विभाग एमएसएमई को ऋण, प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय एवं वैश्विक बाजार तक की पहुँच प्रदान करता है। एमएसएमई को न्यूनतम साझा सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग क्लस्टरो का विकास भी करता है। स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से विभाग युवाओं को प्रोत्साहित करता हैं, ताकि वह अपने गृह शहर/गांव में अपने उद्यम स्थापित कर सके।

2. विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत एक विभागाध्यक्ष हैं :-

(1) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश

3. वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत दो सार्वजनिक उपक्रम तथा एक प्राधिकरण निम्नानुसार है :-

(1) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड
(2) मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (निगम बंद करना प्रक्रियाधीन)
(3) ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की गतिविधियाँ

- उद्योग संवर्धन नीति 2014 (एमएसएमई से संबंधित भाग) का क्रियान्वयन।
- मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 का क्रियान्वयन।
- नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर, प्रदेश प्रशासन को "उद्योग मित्र" (Industry Friendly) बनाना।
- औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाना।

- एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना।
- विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं को समन्वित कर रोजगार के निरंतर अवसर उपलब्ध कराना।

5. नीति, नियमों, आदेशों व निर्देशों का अंगीकरण

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 05-03/2016/अ-तेहत्तर, दिनांक 16.08.2016 द्वारा विभाग की पृथक नीति, नियम, आदेश व निर्देश जारी होने तक वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी नीति, नियम, आदेश व निर्देश समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथा आवश्यक यथा स्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग) द्वारा अंगीकृत किये गये है।

6. उद्योग संवर्धन नीति-2014 (एमएसएमई से संबंधित भाग)

राज्य शासन द्वारा औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, प्रदेश प्रशासन को उद्योग मित्र बनाये रखने एवं राज्य में निजी क्षेत्र के निवेश में सारवान वृद्धि के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति, 2014 जारी की गई हैं। यह नीति 01 अक्टूबर, 2014 से शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक प्रभावी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" लागू की गई है।

6.1 उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत एमएसएमई हेतु प्रमुख सहायता/अनुदान

(i) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता - पात्र उद्यमों (टैक्सटाईल इकाइयों को छोड़कर) को नीचे दी गई सीमा तक इनके द्वारा जमा किए गए मूल्य संवर्धित कर और केंद्रीय विक्रय कर (जिसमें कच्चामाल की खरीद पर मूल्य संवर्धित कर की राशि शामिल नहीं है) की राशि पर इनपुट टैक्स रिबेट समायोजित करने के बाद प्रतिपूर्ति की जाएगी :

क्र.	इकाई का प्रकार	"प्राथमिकता विकासखण्ड" के लिये पात्रता	अन्य सभी शेष जिलों के लिए पात्रता
1	सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यम जिनमें कम से कम 1 करोड़ रूपये का स्थाई पूंजी निवेश हो तथा मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई	7 वर्षों की अवधि के लिए 50 प्रतिशत	5 वर्षों की अवधि के लिए 50 प्रतिशत

(ii) **स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान** - केवल सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यमों को उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि रू. 15 लाख पूंजी निवेश अनुदान देय है।

(iii) **टर्म लोन पर ब्याज अनुदान** - सूक्ष्म, लघु व मध्यम विनिर्माण उद्यमों को 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान देय है। परंतु इस अनुदान की वार्षिक सीमा सूक्ष्म, लघु व मध्यम विनिर्माण उद्यमों हेतु क्रमशः 3, 4 व 5 लाख रूपये है।

(iv) **टेक्सटाइल पैकेज** - सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की वस्त्र उद्योग इकाइयों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (TUFS) में अनुमोदित संयंत्र और मशीनरी में अधिकतम एक करोड़ रुपए तक, पात्र निवेश का दस प्रतिशत निवेश अनुदान देय है।

नवीन एमएसएमई के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की दर से, रू. 5 करोड़ की सीमा तक ब्याज अनुदान देय है।

रूपये एक करोड़ या उससे अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली टेक्सटाईल इकाई को उसके वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से आठ वर्ष के लिए उद्योग निवेश संवर्धन सहायता देय है।

अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 25 प्रतिशत अनुदान देय है, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 25 लाख है।

6.2 ऐसी इकाइयां जिनके लिए उद्योग संवर्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत प्रोत्साहनों का कोई पैकेज पहले मंजूर किया गया है या जिनका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक उद्योग संवर्धन नीति-2014 की अधिसूचना के पहले का है, उद्योग संवर्धन नीति-2014 के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाने की पात्रता नहीं है, लेकिन वे उद्योग संवर्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत, जैसी भी स्थिति हो, सुविधाओं हेतु पात्र है। उद्योग संवर्धन नीति 2014 की अधिसूचना के बाद, किन्तु उद्योग संवर्धन नीति (IPP), 2010 की समापन तिथि से एक वर्ष के अंदर (अर्थात 31 अक्टूबर, 2016 तक) वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने वाली इकाइयों को वर्तमान नीति या आईपीपी 2010 के तहत प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की स्वतंत्रता है; तथापि एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा। लाभ लेने का विकल्प/चुनाव का प्रावधान टेक्सटाईल परियोजनाओं के लिए लागू नहीं है।

7. म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016

7.1 भारत सरकार के 'स्टार्टअप इंडिया' विजन के साथ तालमेल रखते हुये एक अनुकूल, अभिनव और तकनीकी उद्यमी परिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना को साकार करने हेतु 'म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016' के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप संस्कृति को पोषित और बढ़ावा दिया जा रहा है।

7.2 'म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016' अंतर्गत एमएसएमई हेतु प्रमुख सहायता/अनुदान

अ. इन्क्यूबेटरों को प्रोत्साहन

i. पूंजी अनुदान
ii. संचालन सहायता
iii. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन
iv. सलाह हेतु सहायता
v. स्टार्टअप प्रतियोगिता सहायता

ब. स्टार्टअप/उद्यमिओं को प्रोत्साहन

i. ब्याज अनुदान
ii. लीज़ किराया अनुदान
iii. पेटेंट/गुणवत्ता संवर्धन अनुदान
iv. स्टार्टअप विपणन सहायता
v. क्रेडेंशियल विकास सहायता

8. राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड

प्रदेश के एमएसएमई के संवर्धन हेतु परामर्श एवं सुझाव, उद्योग संवर्धन नीति पर सुझाव तथा उद्योगों में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड गठित है।

9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 -

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से लघु एवं मध्यम उद्यमों की उन्नति और विकास में मदद करना है।
- उद्योग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर को भी मान्यता देते हुए उद्योग के स्थान पर उद्यम की परिभाषा, सूक्ष्म उद्यम हेतु स्पष्ट प्रावधान, लघु उद्यम (विनिर्माण) की सीमा को बढ़ाकर रू. 5 करोड़ करना।
- आर्थिक स्तर पर उपलब्धियों के अनुरूप मध्यम उद्यमों को परिभाषित करना।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और माल की खरीद के लिए वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान को सुदृढ़ करना।
- राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बोर्ड को वैधानिक आधार प्रदान करना।
- लघु उद्योगों के लिए जटिल व दोहरी पंजीकरण प्रक्रिया के स्थान पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए वैकल्पिक विवरण पत्रक भरने की व्यवस्था।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का वर्गीकरण - प्लांट एवं मशीनरी/उपकरणों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में पूँजीवेष्ठन के अधिकतम सीमा के आधार पर विनिर्माण (मैन्युफेक्चरिंग) तथा सेवा (सर्विस) उद्यम को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण निम्नानुसार हैं:-

वर्गीकरण	**मैन्यूफैक्चरिंग पूँजीवेष्ठन सीमा**	**सर्विस सेक्टर पूँजीवेष्ठन सीमा**
सूक्ष्म उद्यम	रू. 25 लाख तक	रू. 10 लाख तक
लघु उद्यम	रू. 25 लाख से अधिक व रू. 5 करोड़ तक	रू. 10 लाख से अधिक व रू. 2 करोड़ तक
मध्यम उद्यम	रू. 5 करोड़ से अधिक व रू. 10 करोड़ तक	रू. 2 करोड़ से अधिक व रू. 5 करोड़ तक

10. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2006

राज्य शासन द्वारा "माईक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेस डेव्हलपमेंट एक्ट-2006" के अध्याधीन, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2006 दिनाँक 10 जनवरी, 2007 को अधिसूचित कर दिये गये हैं तथा फैसिलिटेशन काउन्सिल के गठन की अधिसूचना दिनाँक 10 जनवरी, 2007 को जारी कर दी गई है। फेसिलिटेशन काउंसिल ने जुलाई 2007 से बैठकें प्रारंभ की है।

11. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015

मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" दिनांक 01 अप्रेल, 2015 से लागू किया गया है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 20.10.2016 द्वारा नियमों में संशोधन कर उनका सरलीकरण किया गया है।

12. म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम - 2015

शासकीय क्रय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मित्तव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम - 2015 दिनांक 28 जुलाई, 2015 से लागू किया गया है।

13. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभागीय सेवाएं

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभाग की चार सेवाए यथा एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति एवं वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, अधिसूचित की गई है।

14. सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), भोपाल

सीपेट, भोपाल को भारत सरकार से उनकी परियोजना हेतु अधोसंरचना, मशीनरी एवं उपकरण हेतु सहायता प्राप्त हो रही है। यह सहायता, केन्द्र सरकार अंश 50 प्रतिशत, राज्य सरकार अंश 50 प्रतिशत के आधार पर प्राप्त होना है।

15. सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर, ग्वालियर

भारत सरकार की परियोजना अंतर्गत रू. 40.10 करोड़ की लागत से ग्वालियर में वोकेशन ट्रेनिंग सेण्टर स्थापित किया गया है, जिसमें नवंबर, 2016 से प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। राज्य शासन द्वारा इस सेण्टर हेतु 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना अंतर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार अंश 50-50 प्रतिशत है। परियोजना में भारत सरकार द्वारा राशि रू. 7.85 करोड़ उपलब्ध कराई गई है।

16. प्रदेश में एमएसएमई हेतु पृथक विभाग का गठन होने से प्रदेश के औद्योगीकरण में गति तथा रोजगार सृजन बढ़ा है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से सकारात्मक बदलाव आया है। प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु प्रदेश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एमएसएमई मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न आयोजन स्थल पर उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श कर उन्हें प्रदेश में उद्योग नीतियों व औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी प्रदान कर प्रदेश में उद्योग स्थापनार्थ आमंत्रित किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

अ. दायित्व

- मध्यप्रदेश के समग्र आर्थिक विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एवं सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।
- प्रदेश में इंक्यूबेटरों व स्टार्टअप का पोषण एवं बढ़ावा देना।
- प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन।
- निर्यात वृद्धि के लिए उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाना।
- युवा उद्यमिओं को उद्यम की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।
- प्रदेश में स्थित पावरलूम उद्योगों का विकास एवं पावरलूम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।

ब. सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश में प्रभावी व गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में उद्योग संचालनालय द्वारा उद्योगों की स्थापना व उसके संचालन को सरल व सहज बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार संचालनालय द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत सेवाओं को सम्मिलित कर कार्य में पारदर्शिता लाई गई है।

स. एमएसएमई का विकास

- एमएसएमई सम्मेलन, 2016

  दिनांक 1 व 2 अक्टूबर, 2016 को एमएसएमई सम्मेलन, 2016 का आयोजन माननीय श्री कलराज मिश्र, मंत्री, भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में किया गया। सम्मेलन में भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय के दोनों राज्य मंत्री एवं राज्य के माननीय एमएसएमई मंत्री भी उपस्थिति हुए। सम्मेलन में सम्पूर्ण प्रदेश के एमएसएमई इकाईयों के स्वामिओं, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधिओं ने अपनी सहभागिता की। सम्मेलन में अचारपुरा में रू. 125 करोड़ की लागत के टूल रूम का शिलान्यास किया गया।

सम्मेलन का मुख्य आकर्षण एमएसएमई के उत्पादों की प्रदर्शनी थी। सम्मेलन में एमएसएमई से जुड़े विषयों पर थीम सेमिनार आयोजित किये गये। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत तीन वर्षों की उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सूक्ष्म व लघु उद्योग इकाईयों को पुरूस्कृत किया गया।

- <u>क्लस्टर</u> - भारत सरकार की क्लस्टर योजना के अंतर्गत प्रदेश में उत्साहजनक कार्य हुआ है। 4 क्लस्टरों रेडिमेड गारमेंट पार्क गदईपुरा जिला ग्वालियर, अपेरल क्लस्टर बिजैपुर जिला इंदौर, फूड क्लस्टर बड़ौदी जिला शिवपुरी और नमकीन एण्ड एलाईड क्लस्टर करमड़ी जिला रतलाम की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है, जिनमें अधोसंरचना कार्य प्रगति पर है।

  क्लस्टर विकास योजना के नवीन गाइडलाईन के तहत राज्य शासन की स:शक्त समिति के द्वारा मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर जबलपुर तथा इंजीनियरिंग क्लस्टर गोविंदपुरा भोपाल की डीपीआर अनुमोदित की गई है।
- भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा रूपए 1.35 करोड़ की लागत से देवास में लेदर इंक्यूबेशन सेंटर प्रारंभ किया गया एवं भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा ग्वालियर में रू. 15.72 करोड़ की लागत से टेक्सटाईल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदत्त की गई।
- <u>कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>
  - शिवपुरी, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, कटनी एवं जबलपुर में लेदर सेक्टर कौशल विकास केन्द्र की स्थापना एफडीडीआई के माध्यम से कराई गई।
  - कौशल विकास योजना अंतर्गत माह जनवरी, 2017 तक 6748 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 4647 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

द. लैण्ड बैंक

प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त शासकीय भूमियों का एक लैण्ड बैक बनाया गया है, जिससे उद्यमिओं को आकर्षित कर उद्यम स्थापित किये जा सकें। मध्यप्रदेश शासन, प्रदेश में एमएसएमई की स्थापना के लिये दृढ़ संकल्पित है। वर्तमान में प्रदेश में 187 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। इनके साथ-साथ ऐसे जिलें, जिनमें औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, में शासकीय भूमि चिन्हित कर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु विभाग प्रयासरत है।

ई. स्वरोजगार योजनाए

- **<u>मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना</u>** :- प्रदेश के शिक्षित युवाओं को परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 10 लाख से अधिकतम रुपये एक करोड़ तक, हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ण कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गो के युवाओं को स्वयं का उद्योग सेवा उद्यम/(विनिर्माण) स्थापित करने के हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।
- **<u>मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना</u>** :- प्रदेश के युवाओं को परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 50 हजार से अधिकतम रुपये 10 लाख तक, हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ण कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गो के युवाओं को स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने के हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।
- **<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम</u>** :- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को समन्वित कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राष्ट्र स्तर पर योजना की नोडल एजेन्सी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है। प्रदेश स्तर पर योजना का संचालन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड व जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग के लिये अधिकतम परियोजना लागत रू. 25 लाख तथा सेवा/व्यवसाय के लिये अधिकतम परियोजना लागत रू. 10 लाख हेतु ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उद्योग हेतु रू. 10 लाख से अधिक की परियोजना और सेवा हेतु रू. 5 लाख से अधिक की परियोजना पर आवेदक को न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को शहरी व ग्रामीण के आधार पर मार्जिनमनी सहायता का लाभ दिया जाता है।

फ. स्वरोजगार सम्मेलन

दिनांक 17 जुलाई, 2016 को राज्य स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन, 2016 का आयोजन भोपाल में किया गया। सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्वरोजगार योजनाएं संचालित करने वाले विभागों के मंत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। सम्मेलन में सम्पूर्ण प्रदेश के स्वरोजगार योजनाओं

अंतर्गत लाभांवित हितग्राहियों ने अपनी सहभागिता की, उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई एवं अपने उद्यमों को आगे ले जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी हितग्राहियों से रूबरू हुये एवं योजना से जुड़े अधिकारियों को पुरूस्कृत किया।

ज. सूचना प्रौद्योगिकी कार्य

प्रदेश के उद्यमियों को ऑनलाईन सेवाए व जानकारी प्रदान करने हेतु राशि रू. 626.27 लाख की परियोजना लागत से ऑफिस ऑटोमेशन का कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया है, जो वर्ष 2020-21 तक पूर्ण होगा। प्रथम तीन वर्षो में साफ्टवेयर का विकास, प्रशिक्षण एवं बैकलॉग डाटा एंट्री का कार्य और शेष तीन वर्षो में विकसित साफ्टवेयर के रखरखाव का कार्य मैप-आईटी द्वारा किया जावेगा। उक्त परियोजना के तहत विभागीय वेबसाईट www.mpmsme.gov.in (हिन्दी URL : एमपीएमएसएमई.सरकार.भारत) विकसित कर प्रारंभ की गई है। साफ्टवेयर विकासित हो जाने पर विभागीय सुविधाएँ उद्यमियों को ऑनलाईन प्रदान की जाएगी, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। उक्त के साथ-साथ एमआईएस प्रणाली भी विकसित की जा रही है। वर्तमान में स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जा रहे है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन शत-प्रतिशत ऑनलाईन किया गया है।

च. उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण सांख्यिकी

- **<u>उद्यमों की स्थापना</u> :-**
  - ❖ वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 अंत तक कुल 67724 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हुये, जिसमें रू. 7762.01 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है तथा प्रत्यक्ष रूप से 298189 व्यक्तियों को रोजगार मिला हैं।
  - ❖ प्रदेश में वर्ष 2011-12 सें 2015-16 तक वर्षवार पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पूँजी निवेश एवं रोजगार की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	संख्या	पूँजी निवेश (रू. करोड़ में)	रोजगार
1	2011-12	20105	475.16	46501
2	2012-13	19894	672.43	47414
3	2013-14	18660	612.56	44924
4	2014-15	19835	750.04	51571
5	2015-16	48179	5171.75	194761

- **<u>स्वरोजगार योजनाए</u> :-**

  - ❖ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 अंत तक भौतिक लक्ष्य 1500 के विरूद्ध 1586 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 1308 प्रकरणों में वित्तीय सहायता राशि रू. 118.50 करोड़ वितरित की गई।
  - ❖ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 अंत तक भौतिक लक्ष्य 25000 के विरूद्ध 23802 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 18813 प्रकरणों में वित्तीय सहायता राशि रू. 213.00 करोड़ वितरित की गई।
  - ❖ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 अंत तक वित्तीय लक्ष्य रू. 34.11 करोड़ के विरूद्ध सहायता राशि रू. 19.74 करोड़ वितरित की गई।

- **<u>शासकीय भूमि का हस्तातंरण</u> :-**

प्रदेश में एमएसएमई हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के आधार पर माह जनवरी, 2016 से माह जनवरी, 2017 तक निम्नानुसार शासकीय भूमि राजस्व विभाग से हस्तांतरित कराई गई:-

क्र.	जिला	ग्राम	भूमि (रकबा हे. में)	हस्तांतरण आदेश दिनांक
1	हरदा	बिच्छापुर	41.277	04.04.2016
2	सागर	पटनाकाकरी	99.203	आरक्षित दिनांक 26.07.2016
3	बुरहानपुर	सुखपुरी	3.370	06.09.2016
4	उज्जैन	मानपुरा	17.17	09.09.2016
		ताजपुरा	5.83	16.12.2016
5	बैतुल	कोलगॉव, मोरडोंगरी	31.092	21.11.2016
		योग	**196.942**	

- **<u>उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम</u> :-**

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का विगत पांच वर्षों में प्रगति विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वर्ष	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या	कुल लाभांवित प्रशिक्षणार्थी
1	2011-12	79	2464
2	2012-13	104	3199

क्रमांक	वर्ष	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या	कुल लाभांवित प्रशिक्षणार्थी
3	2013-14	347	10491
4	2014-15	269	8070
5	2015-16	115	3240
6	2016-17 (जनवरी, 2017 तक)	141	4230

- **<u>सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल</u> :-**

वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 अंत तक काउन्सिल की 06 बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें विगत वर्ष के काउन्सिल को प्राप्त 190 प्रकरण रखे जाकर 20 प्रकरणों में कुल राशि रू. 59.74 करोड़ के समझौता आदेश/अवार्ड पारित किये गये हैं। शेष 170 प्रकरण एवं जनवरी, 2017 तक प्राप्त 39 नवीन प्रकरण सहित कुल 209 प्रकरण काउन्सिल के समक्ष विचाराधीन है।

<u>मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड</u>

(अ) निगम की संरचना :-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शासकीय कम्पनी के रूप में दिनांक 28 दिसम्बर, 1961 को किया गया था। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूंजी रू. 500.00 लाख है एवं इसके विरूद्ध प्रदत्त अंशपूंजी रू. 282.75 लाख है। प्रदत्त अंशपूंजी में रू. 267.75 लाख राज्य शासन के तथा रू. 15.00 लाख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत शासन द्वारा निगम में वेष्ठित हैं। शासन आदेश के अनुरूप निगम द्वारा रू. 282.75 लाख में से रू. 72.45 लाख का निवेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, जो कि निगम की सहायक कम्पनी है, की अंशपूंजी में किया गया है।

(ब) निगम के मुख्य उद्देश्य :-

(i) शासकीय विभागों हेतु उनकी आवश्यकताओं के उत्पादों का उपार्जन :- म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना तथा शासकीय/अर्धशासकीय विभागों/उपक्रमों को उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्रदाय करवाना।

(ii) प्रदेश के हस्तशिल्पियों, हाथकरघा एवं लघु उद्योग इकाईयों को मृगनयनी म. प्र. एम्पोरियमों के माध्यम से विपणन सुविधा प्रदान करना।

(iii) कच्चे माल की आपूर्ति।

(iv) उद्योगों को परीक्षण सुविधाऐं उपलब्ध कराना।

(v) बिजनेस डेव्लपमेंट सेल के अंतर्गत ई-टेंडिरिंग तथा इकाईयों को कोयले का वितरण।

(vi) निर्माण कार्य।

(स) निगम की गतिविधियॉं :-

निगम द्वारा उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं:-

(1) <u>विपणन गतिविधि</u> :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ज्ञापन क्रमांक एफ-14/2012/अ-ग्यारह, दिनांक 28.07.2015 से म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 लागू किया गया है, जिसमें प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने की दृष्टिगत कुल 39 वस्तुएं नियम 6 के अंतर्गत म. प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित की गई हैं। म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के नियम-7 के तहत म. प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से सामग्री क्रय हेतु ऑनलाईन क्रयादेश तथा ऑनलाईन प्रदाय आदेश जारी किये जाने की प्रक्रिया लागू की गई है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह मार्च 2016 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 671.74 करोड़ के समक्ष रू. 636.17 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस गतिविधि के अन्तर्गत माह जनवरी, 2017 तक रू. 550.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 626.48 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाईयों के विकास हेतु निगम द्वारा जारी की जा रही राज्य स्तरीय निविदाओं में टर्न ओव्हर की शर्त हटा दी गई है।

(2) <u>एम्पोरियम गतिविधि</u> :-

निगम द्वारा इस गतिविधि के अंतर्गत प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर एम्पोरियमों का संचालन करके प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का विक्रय किया जाता है। वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में तथा प्रदेश के बाहर नई दिल्ली एवं कोलकाता में एम्पोरियमों का संचालन किया जा रहा है। निगम के

एम्पोरियमों द्वारा समय-समय पर प्रदर्शनी/सेल आयोजित करके बुनकरों एवं शिल्पियों के उत्पादों का विक्रय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही निगम द्वारा देश एवं विदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित ट्रेड फेयर एवं प्रदर्शनियों में भाग भी लिया जाता है। एम्पोरियम विभाग द्वारा ऑन लाईन शांपिग हेतु पोर्टल भी संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह मार्च 2016 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 73.26 करोड़ के समक्ष रू. 45.33 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जनवरी, 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 38.78 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 30.76 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

<u>मेला प्रदर्शनी का आयोजन</u> :-

अ. निगम द्वारा एम्पोरियमों की इस श्रृखला में हस्तशिल्पियों एवं हाथकरघा के उत्पादों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाकर तथा राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी एवं शिल्प बाजारों का आयोजन कर प्रदेश की कला को प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प की पहचान एवं इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को एक समग्र बाजार विपणन हेतु प्राप्त होता है।

ब. निगम द्वारा प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश के मण्डप का निर्माण कर संचालन किया जाता है। इस वर्ष नई दिल्ली में दिनांक 14-27 नवम्बर, 2016 की अवधि में प्रगति मैदान में डिजीटल इण्डिया डिजीटल एम.पी. थीम के आधार पर भाग लिया गया।

स. प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयां तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभान्वित उद्यमियों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रोडक्ट के निर्यात हेतु दिनांक 21-23 सितम्बर, 2016 तक रशिया इण्डस्ट्रीयल फेयर सेंट पीटर्सबर्ग में भारत सरकार के एमएसएमई विभाग एवं म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के अनुदान एवं सहयोग से सफलतापूर्वक भाग लिया गया।

द. विशेष परियोजना :-

(i) मृगनयनी एम्पोरियम के उत्पादों के आनलाईन विक्रय हेतु स्नेपडील से मृगनयनी म. प्र. एम्पोरियम, नई दिल्ली एवं मृगनयनी म.प्र. एम्पोरियम, भोपाल द्वारा लाईम रोड़ से एम.ओ.यू. कर व्यवसाय प्रारंभ किया गया है। साथ ही मृगनयनी म.प्र. एम्पोरियम, कोलकाता द्वारा amazon and shopclues से रजिस्टर्ड किया जाकर

ऑनलाइन व्यवसाय किया जा रहा है। विभिन्न मृगनयनी म.प्र. एम्पोरियमों द्वारा 76 राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लिया गया है। प्रदेश के बुनकर एवं हस्तशिल्प उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम द्वारा देश की एक्सपोर्ट काउंसिलों में पंजीयन कराया गया है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार बढ़ाने हेतु निगम द्वारा वेबसाईट का भी निर्माण किया गया है।

(ii) प्रदेश की सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम इकाईयों द्वारा औद्योगिक उत्पादन हेतु बनाये जा रहे सह उत्पादों के ऑनलाईन विक्रय हेतु मेसर्स टोलेक्सो.कॉम से एम.ओ.यू. सम्पादित किया गया। यह एम.ओ.यू. प्रदेश में चलाये जा रहै वेण्डर डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है।

(iii) वेण्डर डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी, 2017 तक 720 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और 82 एंकर युनिट पंजीकृत है। वृहद इकाईयों के साथ लगभग 908 बी.2.बी बैठके सम्पन्न हुई।

(3) <u>कच्चा माल गतिविधि</u> :-

निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को कच्चे माल का प्रदाय किया जा रहा है। भारत सरकार की उदारीकरण की नीति, कच्चे माल पर से मूल्य नियंत्रण हटाए जाने, मुख्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा इकाईयों को सीधे माल प्रदाय किये जाने, निजी क्षेत्र के उत्पाद बाजार में सस्ते दामों एवं उधारी पर उपलब्ध होने तथा निगम की प्रतिस्पर्धा में निजी वितरक नियुक्त होने आदि कई कारणों से कच्चा माल वितरण के व्यवसाय को चला पाना ही अपने आप में एक चुनौती है। फिर भी इस गतिविधि के अंतर्गत निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को लौह, इस्पात, ब्रास स्क्रेप आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

इसके अतिरिक्त कच्चा माल विभाग द्वारा कुछ उत्पादों के विपणन का कार्य भी किया जाता था, लेकिन वर्ष 2015-16 से समाप्त कर विपणन कार्य विपणन विभाग के माध्यम से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह मार्च, 2016 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 65.88 करोड़ के समक्ष रू. 37.33 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जनवरी, 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 45.83 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 30.64 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

(4) सम्पदा एवं निर्माण गतिविधि :-

निगम की स्थापना के समय शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिकरण को बढाने के उद्देश्य से निगम को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण तथा रख-रखाव का कार्य सौपा गया था, जिसका निगम द्वारा पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया गया। कालांतर में सरकार द्वारा यह कार्य अन्य सरकारी संस्थाओं को सौंपा गया। वर्तमान में निगम द्वारा राज्य शासन के उद्योग विभाग के निर्माण कार्य के साथ अन्य विभागों जिसमें अनुसूचित जनजाति विकास विभाग/अनुसूचित जाति विकास विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास पंचायत विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/खेल एवं युवा कल्याण विभाग/पशुपालन विभाग एवं केन्द्र शासन की केन्द्रीय नवोदय विद्यालय समिति के कार्य सम्मिलित है।

इस तरह से यह गतिविधि निगम के लिये एक आवश्यक गतिविधि है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह मार्च, 2016 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 120.00 करोड़ के समक्ष रू. 160.59 करोड़ के निर्माण कार्य सम्पादित किये गये है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जनवरी, 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 99.71 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 107.50 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। राज्य शासन द्वारा सम्पदा एवं निर्माण विभाग की गतिविधियों को दिनांक 01 जुलाई, 2016 से समाप्त किया गया है। अतः उक्त दिनांक से सम्पदा एवं निर्माण विभाग कोई भी नवीन निर्माण कार्य नहीं करेगा तथा न ही निर्माण एजेन्सी बनेगा। विभाग द्वारा वर्तमान चल रहे समस्त निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जायेंगे।

(5) तकनीकी गतिविधि :-

निगम के तकनीकी विभाग द्वारा शासकीय विभागों को प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं के स्पेसिफिकेशन का निर्धारण क्रेता विभाग के आवश्यक्तानुसार किया जाता है। निगम से सामग्री प्रदाय हेतु अनुबन्ध करने वाली इकाईयों की सम्भाव्यता अध्ययन का कार्य निगम के तकनीकी विभाग एवं बाहरी एजेन्सीयों द्वारा किया जाता है। प्रदाय पूर्व सामग्रियों का निरीक्षण कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु "टू बिड" प्रक्रिया के अंतर्गत आमंत्रित निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन एवं उत्पादों के लागत अनुमान तैयार किये जाते है।

निगम के तकनीकी विभाग द्वारा इन्दौर एवं जबलपुर में परीक्षण प्रयोगशालाए संचालित की जा रही है, जिनके अंतर्गत लघु उद्यमियों के उत्पादों का परीक्षण उचित दरों पर किया जाता

है तथा परीक्षण संबंधी प्रशिक्षण भी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। निगम की इन्दौर परीक्षण प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे एन.ए.बी.एल. (नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड आफ लेबोरेटरीज), बी.आई.एस.(भारतीय मानक ब्यूरो), एफ.डी.ए., एगमार्क आदि से मान्यता प्राप्त है। परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर को भी आई.एस.ओ. 9001 एवं एन.ए.बी.एल. की मान्यता प्राप्त है। ये प्रयोगशालाऐं निर्माण सामग्रियों, खाद्य तत्वों तथा औषधियों की जांच के लिए सभी सुविधाओं से सम्पन्न है। ये प्रयोगशालायें सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों के लिए प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2007-08 में भारत सरकार की 50 प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड योजनान्तर्गत दोनों प्रयोगशालाओं में लगभग रूपये 65.00 लाख की लागत से अत्याधुनिक परीक्षण उपकरणों का क्रय किया जाकर, सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह मार्च, 2016 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 126.10 लाख के समक्ष रू. 96.91 लाख का परीक्षण शुल्क प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जनवरी, 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 103.66 लाख के लक्ष्य के समक्ष रू. 76.32 लाख की आय हुई है।

(6) बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल :-

निगम में बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल (बी.डी.सी.) का गठन वर्ष 2005 में हुआ था। म. प्र. लघु उद्योग निगम के बी.डी.सी. द्वारा ई-टेण्डरिंग का प्रारंभ दिनांक 21 अगस्त, 2006 से किया गया था। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम राज्य में ई-टेण्डरिंग को प्रारंभ करने वाली प्रथम संस्था है। इस पोर्टल के माध्यम से 21 अगस्त, 2006 से 31 जनवरी, 2017 तक लगभग 18243 निविदाकर्ता अपनी निविदा निगम में प्रस्तुत कर चुके हैं। पोर्टल का एसटीक्यूसी (स्टेन्डर्डराईजेशन टेस्टिंग क्वालिटी सर्टीफिकेट) भारत शासन के आई.टी. डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है।

म. प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा एसाईड (ASIDE) योजना के अन्तर्गत एक बी2बी एक्सपोर्ट प्रमोशनल पोर्टल का निर्माण भी किया गया है। यह पोर्टल 12 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में है, जैसे जर्मन, स्पेनिश, पोर्तगीज, जापानी, कोरियन, चायनीज (मेन्डारिन), तायवानी, फ्रेंच, डच, वियतनामी एवं इटालियन। यह ई-पोर्टल 177 देशों में देखा जा सकता है। पोर्टल वान्ड (WAND) सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है, जिसके द्वारा वर्ल्ड-वाइड नेटवर्किंग की सुविधा है। अब तक इस पोर्टल से प्रदेश की लगभग 550 औद्योगिक इकाईयां जुड़ चुकी हैं तथा अन्य इकाईयां जुडने की प्रक्रिया में हैं। जिन औद्योगिक इकाईयों की स्वयं की वेबसाइट है, वे उसे इस

पोर्टल से लिंक कर सकती है। पोर्टल पर पंजीकरण हेतु न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। पंजीकरण, इकाईयों द्वारा चयन के आधार पर दो तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है एवं चयनित अवधि के उपरांत पंजीयन का नवीनीकरण कराना होता है।

म. प्र. लघु उद्योग निगम प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को कोयला वितरित करने के लिए म. प्र. शासन द्वारा नामित एजेन्सी है। मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 13-3/05/अ-ग्यारह दिनांक 04.07.2008 के द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से कोल वितरण हेतु प्रक्रिया एवं नीति लागू की गई है, जिसका पालन करते हुए निगम के बी.डी.सी. विभाग द्वारा प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को कोल का वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह मार्च, 2016 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 160.00 करोड़ के समक्ष रू. 45.19 करोड़ का व्यवसाय किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जनवरी, 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 132.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 0.74 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। व्यवसाय कम होने का मुख्य कारण कोयला कम्पनी द्वारा ई-आक्शन के कोयले की दरों में कमी तथा अर्थव्यवस्था में मंदी है।

(7) वित्तीय परफारमेन्स :-

निगम की विगत पांच वर्षो की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः-

(रू. लाखों में)

क्र.	वर्ष	कुल व्यवसाय	+लाभ/-हानि
1	2011-12	93732.00	(+) 917.34 (कर पश्चात्) (अंकेक्षित)
2	2012-13	105569.23	(+) 1220.90 (कर पश्चात्) (अंकेक्षित)
3	2013-14	122863.97	(+) 1682.52 (कर पश्चात्) (अंकेक्षित)
4	2014-15	100061.92	(+) 1333.05 (कर पश्चात्) (अनअंकेक्षित)
5	2015-16	92560.06	(+) 2579.66 (मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)
6	2016-17 (जनवरी, 2017 तक)	79680.19	(+) 1821.09 (मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार) (कर पूर्व)

निगम द्वारा वर्ष 2016-17 में माह जनवरी, 2017 तक रू. 850.06 करोड़ के आनुपातिक लक्ष्य के समक्ष रू. 796.40 करोड़ का व्यवसाय कर लगभग रू. 18.21 करोड़ का अनुमानित कर पूर्व लाभ (मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार) अर्जित किया गया है।

निगम के वर्ष 2013-14 के लेखे विधान-सभा पटल पर दिनांक 23.02.2017 को पटलित किये जा चुके है। वर्ष 2014-15 के लेखों का सांविधिक अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14011-इक्कीस-अ (प्रा) दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला के बेहतर प्रबन्धन तथा नियंत्रण के लिये 'ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996' प्रभावशील हुआ। इसके प्रावधान के अनुसार, मेला संचालन व नियंत्रण के लिये, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण निकाय गठित किया गया।

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-11-29/2013/1/9/ द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी संचालक सदस्यों का मनोनयन निरस्त कर दिये जाने के बाद म.प्र.शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-13-1/03/अ-ग्यारह दिनांक 28.12.2013 के अनुसार आयुक्त, ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष नामांकित किया गया है।

आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्राधिकरण के निर्णयों और संकल्पों के अध्याधीन, मेला संचालन व उस पर नियंत्रण से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को अध्यक्ष समन्वित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। उपाध्यक्ष उनकी अनुपस्थिति में उनके दायित्वो का निर्वहन करते है। सचिव (शासकीय प्रतिनिधि) कार्यालय और अध्यक्ष/प्राधिकरण के बीच की प्रमुख कड़ी है, जो मेला आयोजन से लेकर कार्यालय तक, प्रत्येक स्तर पर प्रशासकीय व आर्थिक नियंत्रण के लिये तथा प्राधिकरण व अध्यक्ष के आदेशों/निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

104 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैले मेला परिसर में 1400 दुकानें, 126 कोठरियां, 44 एम.बी., 37 डी सेक्टर तथा 82 दुकानें एस.टी. सेक्टर में शिल्प बाजार के सामने 100 नवीन दुकानें हैं। इन दुकानों के अलावा खुली भूमि तथा प्रदर्शनी स्थल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मोटे रूप में मेला परिसर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, व्यापारिक संस्थान, लगेज सेक्टर, दंगल सेक्टर, मनोरंजन सेक्टर, प्रदर्शनी तथा पशु मेला आदि क्षेत्रों में विभाजित है।

मेला परिसर में कई उद्यान विकसित हैं। इन उद्यानों को वैवाहिक एवं अन्य सामाजिक/मांगलिक उत्सवों/आयोजनों के लिये 3-3 वर्षो के लिये ठेके पर दिया जाता है।

मेला परिसर में कला मंदिर तथा कुसुमाकर रंगमंच हैं, जिनमें मेला अवधि में प्रतिदिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मेला परिसर में प्रशासनिक भवन स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दो स्थाई एटीएम मेले के मुख्य गेट एवं गेट नं. 05 पर स्थापित कराये गये हैं।

वर्ष 2016-17 में व्यापार मेले का आयोजन 25 दिसम्बर से 19 फरवरी तक किया गया है। पशु मेला के आयोजन की अवधि में गौवंशीय, भैंस वंशीय, भेड़, बकरा-बकरी वंशीय प्रतियोगिता एवं कृषक संगोष्ठी तथा श्वान शो का भी आयोजन किया गया। जिसमें शामिल विभिन्न प्रजातियों के श्वान को प्रोत्साहन स्वरूप इनामी राशि भी दी गई। मेला में ग्रामीण रूचि के विभिन्न क्षेत्रीय लोक गीत एवं लोकनृत्य आदि के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण के केन्द्र रहे।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला अवधि में विख्यात संस्थाओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा धार्मिक नाट्य, अखिल भारतीय मुशायरा और मुकाबला-ए-कव्वाली, राष्ट्रीय स्तर के अभिनेताओं/कलाकारों द्वारा रोचक प्रस्तुतियाँ दी गईं। सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला में बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा बाल, स्कूली छात्र-छात्राओं, की आधुनिक रूचि के कार्यक्रम भी आयोजित किये गये। जिसमें 08 दिवसीय बाल फिल्में आयोजित की गईं, साथ ही विकलांग ट्राई-साइकिल रेस का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण जनता की अभिरूचि के अनुसार इस वर्ष स्थानीय, राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल प्रतियोगितायें आयोजित की गई। इस वर्ष मेले में शासकीय/अर्धशासकीय विभागों तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक प्रदर्शनियाँ लगाई गई।

मेला प्राधिकरण स्वतः एक विशुद्ध व्यापारिक निकाय है। इसके अधीन कोई कार्यालय या संस्था नहीं है।

उद्देश्य :-

क्षेत्र के उत्पादों के आयात-निर्यात तथा औद्यौगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उत्पादों के प्रचार-प्रसार की इस व्यापार मेला में प्रचुर संभावनायें हैं। वर्ष 1905 से स्थापित इस मेले ने व्यापार जगत में देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी खास पहचान बनाई है।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

1. म. प्र. राज्य वस्त्र निगम की स्थापना अक्टूबर 1970 में प्रदेश की बीमार सूत/कपड़ा मिलों के संचालन, हाथकरघा वस्त्रों के उत्पादन तथा विपणन व्यवस्था करने, हाथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण एवं उनके कौशल उन्नयन हेतु शासन व्दारा संचालित योजनाओं के क्रियांवयन करने के उद्देश्य से की गई थी।

2. बीमार मिलों के संचालन में भारी हॉनि होने तथा हाथकरघा वस्त्रों से संबंधित समस्त योजनाओं को अन्य निगम में हस्तांतरित कर दिये जाने के परिणामस्वरूप शासन व्दारा नीतिगत निर्णय लेते हुये, म.प्र. राज्य वस्त्र निगम को दिनांक 31.10.2000 से बंद करने के आदेश दिये गये।

3. शासन के निर्देशों का पालन करते हुए निगम द्वारा प्रदेश में संचालित 22 हाथकरघा उत्पादन इकाईयों तथा देश एवं प्रदेश में विपणन व्यवस्था हेतु चलाये जा रहे हैं, 28 शोरूम तथा अवंति सूत मिल, सनावद को बंद कर दिया गया है।

4. निगम में कार्यरत 545 अधिकारी/कर्मचारियों एवं अवंति सूत मिल, सनावद में कार्यरत 1406 श्रमिकों/कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 1998 लागू की गई। इस योजना के तहत हाथकरघा गतिविधियों में संलग्न 493 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये रूपये 2214.29 लाख की धनराशि शासन से प्राप्त कर उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-98 के अंतर्गत भुगतान किया जाकर सेवानिवृत्त कर दिया गया है। 20 अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में तथा 06 कर्मचारियों की सेवाएं अन्य उपक्रमों में संविलियन किये जाने के फलस्वरूप निगम सेवा से कार्यमुक्त किया गया है। शेष बचे अधिकारी/कर्मचारियों में से 24 अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिनांक 30.9.2004 को निगम सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है। शेष 01 कर्मचारी महत्वपूर्ण बंदीकरण से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार अंवति सूत मिल, सनावद के 1406 अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए रूपये 1769.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसका उपयोग करते हुय 1406 अधिकारी/कर्मचारी/श्रमिकों को सेवानिवृत्त कर मिल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है।

5. अवंति सूत मिल, सनावद की परिसम्पत्तियों का विक्रय मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार अध्यक्ष, अवंति सूत मिल, वर्कर्स सोसायटी को किया गया है तथा सम्पत्तियाँ भी भौतिक रूप से सोसायटी को सौंपी जा चुकी है। मिल की 12.382 हैक्टयर भूमि 30 वर्ष के लिये 1000/- प्रति वर्ष के भू-भाटक पर दिनांक 29.04.2016 को लीज़ पर दी गई है।

6. निगम के वर्ष 2007-2008 के लेखा विधान-सभा पटल पर दिनांक 23.02.2017 को पटलित किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लेखाओं का अंतिमिकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 का कार्य प्रक्रियातंर्गत है।

   (अ) निगम के वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रशासकीय व्यय हेतु रूपये 17,88,000/- (रूपये सत्रह लाख अठ्यासी हजार मात्र) की मांग की गई थी। उपरोक्त मांग के विरूद्ध वर्ष 2016-17 में राशि रू. 16,09,200/- (रू. सोलह लाख नौ हजार दो सौ मात्र) प्राप्त हुए है।

   (ब) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुमान में राशि रू. 59,29,617/- (रू. उनसठ लाख उनतीस हजार छः सौ सत्रह मात्र) की मांग की गई थी। उक्त मांग के विरूद्ध रू. 56,78,400/- (रू. छप्पन लाख अठहत्तर हजार चार सौ मात्र) प्राप्त हुये है।

7. म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के अंतर्गत निगम की सम्पितियों एवं दायित्वो का विभाजन दिनांक 31.03.2001 के अंकेक्षित लेखों के आधार पर हो चुका है।

8. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 25.08.2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गए, निर्णय के अनुसार निगम की समस्त स्थाई सम्पित्तियों को प्रशासकीय विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। प्रशासकीय विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 850 दिनांक 7.04.2011 से उद्योग आयुक्त, उद्योग

संचालनालय म.प्र., भोपाल को अधिकृत किया गया है। निगम की समस्त चल-अचल संम्पत्तियों को हस्तांतरण कर डीड ऑफ असाइनमेन्ट का निष्पादन किया जाकर दिनांक 21.03.2015 को पंजीकृत किया गया है। साथ ही, निगम का परिसमापन, परिसमापक की नियुक्ति कर बंद करने का निर्णय लिया गया है। उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र., भोपाल को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लि. कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है। निगम का विधिक समापन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी, भोपाल

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी का गठन 12 अगस्त 2005 को राज्य शासन द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों की राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय मेलो में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु किया गया है। प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पादो के लिए निर्यात के अवसर सुलभ कराये जाने की दृष्टि से म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय मेलो में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता सुलभ कराने हेतु मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम के अंतर्गत म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी का कार्यालय एवं एक्स्पोर्ट प्रमोशन सेल की स्थापना की गई है। इस कार्यालय द्वारा प्रदेश की निर्यात करने वाली इकाईयों को निर्यात के नए अवसर सुलभ कराए जाने की दृष्टि से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। एक्स्पोर्ट प्रमोशन सेल, प्रदेश के उत्पादो को दृष्टिगत रखते हुए विदेशो में उसकी मांग का आंकलन करना, गुणवत्ता मापदण्डो को ज्ञात कर उत्पादनकर्ता इकाईयों को अवगत कराना एवं निर्यात संबंधी नियमो आदि की जानकारी उपलब्ध करा सकेगा।

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय मेलो में भागीदारी के लिए वार्षिक केलेण्डर तैयार करती है और इन मेलो में भागीदारी पर होने वाले व्यय के संबंध में वित्तीय योगदान पर निर्णय लेती है। अथॉरिटी द्वारा मेलो में भाग लेने वाले दल के सदस्यो का चयन कर उन्हें मेलो में भाग लेने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि प्रदेश के उद्यमी राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादो के निर्यात के अवसर तलाश कर सके।

म.प्र. लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक अथॉरिटी के कार्यकारी के रूप में सदस्य सचिव नामांकित किए गए है।

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के सदस्य निम्नानुसार है :-

1.	मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	- अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल	- उपाध्यक्ष
3.	उद्योग आयुक्त, म.प्र. भोपाल	- सदस्य
4.	प्रबंध संचालक/कार्यकारी निदेशक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन, भोपाल	- सदस्य
5.	प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल	- सदस्य सचिव

- राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-13-8/05/अ-ग्यारह भोपाल दिनांक 01 फरवरी 2007 के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भाग लेने हेतु नियमावली अनुमोदित की गयी। जिसमें म. प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के वित्तीय साधन जुटाये जाने की दृष्टि से निर्णय लिया गया कि निर्यात संवर्धन के मद में प्रतिवर्ष रू. 10.00 लाख उद्योग आयुक्त द्वारा वित्तीय आवंटन किया जाता है।

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार प्रावधान, लक्ष्य, व्यय

उद्योग संचालनालय

बजट नियंत्रण अधिकारी - उद्योग आयुक्त

बजट सारांश

(राशि लाख रू. में)

क्र.	बजट शीर्ष		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
			बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (जनवरी, 2017 तक)
आयोजनेत्तर						
1	**मांग संख्या - 11**					
	राजस्व अनुभाग	मतदेय	10613.38	7433.83	8097.26	4773.04
		भारित	32.77	25.76	63.79	56.78
	पूंजी अनुभाग	मतदेय	1000.00	1000.00	1500.00	487.52
	योग (राजस्व + पूंजी)	**मतदेय**	**11613.38**	**8433.83**	**9597.26**	**5260.56**
		भारित	**32.77**	**25.76**	**63.79**	**56.78**
आयोजना						
1	**मांग संख्या - 11**					
	राजस्व अनुभाग	मतदेय	124015.95	122069.96	55734.13	50794.80
	पूंजी अनुभाग	मतदेय	58110.79	48886.97	146320.01	144134.58
		भारित	10.00	0.00	10.00	0.00
	योग (राजस्व + पूंजी)	**मतदेय**	**182126.74**	**170956.93**	**202054.14**	**194929.38**
		भारित	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**

क्र.	बजट शीर्ष	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (जनवरी, 2017 तक)
2	**मांग संख्या - 41**				
	मतदेय	150.00	99.98	100.00	58.38
3	**मांग संख्या - 64**				
	मतदेय	200.00	99.19	100.00	52.07
वृहद योग आयोजना (11 + 41 + 64) मतदेय		**182476.74**	**171156.10**	**202254.14**	**195039.83**
महायोग (11 + 41 + 64)	**मतदेय**	**194090.12**	**179589.93**	**211851.40**	**200300.39**
	भारित	**42.77**	**25.76**	**73.79**	**56.78**

आयोजनेत्तर

(राशि लाख रू. में)

क्र.	योजना			वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (जनवरी, 2017 तक)
राजस्व अनुभाग							
1	2851-0725	औद्योगिक संस्थानों का संधारण		500.00	450.00	800.00	33.71
2	2851-1464	जिला उद्योग केन्द्र	मतदेय	5962.83	4067.07	5617.88	3345.89
			भारित	5.00	0.00	5.00	0.00
		योग 2851	**मतदेय**	**6462.83**	**4517.07**	**6417.68**	**3579.60**
			भारित	**5.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**
3	2852-2497	पब्लिक कॉल, टेलीफोन, टेलीग्राम कार्यालयों की प्रतिपूर्ति		0.01	0.00	0.01	0.00
4	2852-3370	मध्यवर्ती कार्यालय	मतदेय	1599.91	1005.13	1327.84	924.24
			भारित	2.00	0.00	2.00	0.00

क्र.	योजना			वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (जनवरी, 2017 तक)
5	2852-5815	परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों की स्थापना		349.80	242.77	335.12	196.09
6	2852-8732	इण्डस्ट्रियल फेसिलिटेशन काउन्सिल का गठन		1.76	1.18	0.50	0.24
7	2852-6751	म.प्र. राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही हेतु सहायता (मतदेय)		216.75	216.75	16.09	16.09
		53- डिक्रीधन का भुगतान (भारित)		25.76	25.76	56.78	56.78
8	2852-6758	राजकुमार मिल्स इंदौर के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही बाबत		0.01	0.00	0.01	0.00
9	2852-(701)1300	निर्यात हेतु राज्यों को अधोसंरचना सहायता		0.01	0.00	0.01	0.00
10	2852-7300	स्व. श्री सुशीलचंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना		0.01	0.00	0.01	0.00
योग 2852			**मतदेय**	**2168.26**	**1465.83**	**1679.58**	**1136.66**
			भारित	**27.76**	**25.76**	**58.78**	**56.78**
पूंजी अनुभाग							
11	4851-6750	अधोसंरचना विकास		1000.00	1000.00	1500.00	487.52
महायोग (राजस्व + पूंजी)			**मतदेय**	**9631.09**	**6982.90**	**9597.26**	**5203.78**
			भारित	**32.76**	**25.76**	**63.78**	**56.78**

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा अपनी गतिविधियों का संचालन स्वयं के स्त्रोतों से ही किया जाता है। निगम द्वारा प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शासन की ओर से भाग लिया जाकर म.प्र. के मण्डप का निर्माण कार्य एवं संचालन किया जाता है। "भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2016" हेतु राज्य शासन ने रू. 200.00 लाख का बजट प्रावधान किया है, जिसके समक्ष रू. 180.00 निगम को प्राप्त हुए है तथा रू. 20.00 लाख प्राप्त होना शेष है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

(राशि लाख रू. में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17 (31.01.2017 तक अनुमानित)
सकल आय	357.29	278.82	245.46
सकल व्यय	292.40	332.68	212.14
लाभ	64.84	(-53.86)	33.32

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

निगम की आय के स्रोत समाप्त हो चुके हैं। निगम के बंदीकरण हेतु प्रशासकीय व्यय एवं अन्य देनदारियों हेतु धनराशि की मांग राज्य शासन से की जा रही है।

भाग - तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

(क) राज्य योजनायें

(अ) मांग संख्या - 11

0101 - राज्य आयोजना (सामान्य)

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (जनवरी, 2017 तक)
एक - राजस्व अनुभाग					
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851-6927	बीमार लघु उद्योगों के पुनर्जीवन की योजना	0.01	0.00	0.01	0.00
2851-7690	पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान	1486.00	1139.81	1636.00	555.75
2851-1175	ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण	159.00	64.19	161.40	84.57
2851-7028	पॉवरलूम बुनकरों के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कार्य एवं आधुनिकीकरण	0.01	0.00	0.00	0.00
2851-7064	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वेन्डर डेवलपमेंट मार्केटिंग सपोर्ट	90.00	90.00	100.00	45.00
2851-6750	अधोसंरचना विकास	1.00	0.00	1.00	0.00
2851-7363	पुराने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों का अनुरक्षण	220.00	213.78	100.00	63.00
	योग	**1956.02**	**1507.78**	**1998.41**	**748.32**

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (जनवरी, 2017 तक)
2852-उद्योग					
2852-4197	शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण प्रोग्राम स्टडी टूर	20.00	4.60	20.00	16.27
2852-2124	एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	15813.01	15581.59
2852-3801	उद्योगों को ब्याज अनुदान	3900.00	3828.90	0.00	0.00
2852-8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	206.00	168.04	161.70	93.52
2852-5101	सीपेट को अधोसंरचना अनुदान	100.00	100.00	500.00	270.00
2852-7432	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार योजना	400.00	378.71	612.00	522.84
2852-9068	औद्योगिक इकाइयों को निवेश पर अनुदान	8349.69	8319.24	0.00	0.00
2852-7136	परियोजना सहायता योजना	200.00	180.77	0.00	0.00
2852-6635	म.प्र. राज्य उद्योग निगम के विधिक बंदीकरण एवं परिसंपत्तियों का रखरखाव	110.00	110.00	120.00	90.58
2852-6646	म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी को आर्थिक सहायता	10.00	10.00	10.00	9.00
2852-7215	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	21515.00	21443.91	23000.00	21381.32
2852-7589	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	8252.00	8212.63	13500.00	12081.36

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम			वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
			बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (जनवरी, 2017 तक)
		योग	**43062.69**	**42756.80**	**53736.71**	**50046.48**
		महायोग आयोजना (2851+2852)	**45018.71**	**44264.58**	**55735.12**	**50794.80**
दो - पूंजी अनुभाग						
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
4851-6749	भू-अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन (मतदेय) सर्विस चार्ज		5000.00	1004.93	500.00	500.00
	भू-अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन (भारित)		10.00	0.00	10.00	0.00
4851-6750	अधोसंरचना विकास		3500.00	3497.51	5000.00	2873.58
4851-5380	ऑटोमोबाईल्स टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा		14700.00	14700.00	140000.00	140000.00
4851-7340	नवीन जिला उद्योग केन्द्रों की बिल्डिंग निर्माण		300.00	300.00	320.00	261.00
	योग	**मतदेय**	**23500.00**	**19502.44**	**145820.00**	**143634.58**
		भारित	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
4875-6059	कम्पोजिट कार्यालय भवनों का निर्माण		85.00	85.00	0.00	0.00
4875-6820	क्लस्टरो की स्थापना		259.73	259.73	400.00	400.00
4875-7627	मिनीटूल रूम की स्थापना		0.01	0.00	0.01	0.00
4875-6481	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को अनुदान		50.00	39.80	100.00	100.00
		योग	**394.74**	**384.53**	**500.01**	**500.00**

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (जनवरी, 2017 तक)
महायोग पूंजी अनुभाग	मतदेय	23894.74	19886.97	146320.01	144134.58
	भारित	10.00	0.00	10.00	0.00

(ब) मांग संख्या - 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

0102 - आदिवासी उपयोजना

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय (जनवरी, 2017 तक)
एक - राजस्व अनुभाग					
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851-7891	रानी दुर्गावती सहायता योजना	100.00	60.42	100.00	58.38
7362	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**100.00**	**60.42**	**100.00**	**58.38**

(स) मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

0103 - अनुसूचित जाति उपयोजना

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय (जनवरी, 2017 तक)
एक - राजस्व अनुभाग					
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851-7891	रानी दुर्गावती सहायता योजना	200.00	99.19	100.00	52.07
	योग	**200.00**	**99.19**	**100.00**	**52.07**

(ख) केन्द्र क्षेत्रीय योजनायें

मांग संख्या - 11

0801 - केन्द्र क्षेत्रीय योजना

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय व्यय (जनवरी, 2017 तक)
एक - राजस्व अनुभाग					
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851-5406	लघु उद्योगों की संगणना	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

कौशल विकास :-

प्रदेश की एम.एस.एम.ई. इकाईयों के विकास की दिशा में प्रयास

म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य शासन की सहायता से प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों हेतु प्रदायक विकास (वेण्डर डेव्हलपमेंट) कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की लघु एवं मध्यम क्षेत्र की इकाइयों को वृहद एवं भारी उद्योगों से जोड़ा जाकर वृहद उद्योगों को लगने वाले सह उत्पाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की लघु तथा मध्यम इकाइयों को व्यवसाय की प्राप्ति होगी एवं इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। द्वितीय चरण में इन इकाईयों की सक्षमता इतनी बढ़ाई जानी है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में OWNED BRAND NAME के रूप में स्थापित हो सके।

लेदर इंक्यूबेशन सेंटर, देवास

सूक्ष्म, लघु एवं मघ्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की A Scheme for Promotion of Innovation Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE) के अन्तर्गत देवास मध्यप्रदेश में लेदर इंक्यूबेशन सेन्टर स्थापित किया गया है, जिस हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसमें परियोजना का स्थान, लागत, मशीनों का विवरण, अवधि, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं परियोजना की पृष्ठभूमि आदि विस्तृत विवरण सम्मिलित करते हुये भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। लेदर इंक्युबेशन सेंटर, देवास म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, देवास के औद्योगिक क्षेत्र क्र.-2 स्थित प्रशासकीय भवन में स्थापित किया गया है।

इस योजना के लिये म.प्र. लघु उद्योग निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के देवास स्थित जिले में लेदर इंक्यूबेशन सेन्टर से 05 वर्ष की अवधि में 300 उद्यमिओं तथा 2000 स्किल्ड मेन पॉवर को प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान है। इसके फलस्वरूप क्षेत्र में रोजगारन्मुखी योजना प्रारम्भ होगी एवं लेदर इंक्यूबेशन सेण्टर के माध्यम से स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश में लेदर क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित होंगे।

इस योजना हेतु भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रेषित प्रोजेक्ट रिपोर्ट राशि रू. 129.97 लाख के विरूद्ध रू. 90.20 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से भारत सरकार द्वारा अभी तक कुल रू. 70.07 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है तथा राशि रू. 71.12 लाख उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश से प्राप्त हुई है।

लेदर इंक्यूबेशन सेंटर, देवास के लिये टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, देवास, एफ.डी.डी.आई, म.प्र. लघु उद्योग निगम एवं उद्योग संचालनालय के अधिकारियों की बैठक में आवश्यक मशीनों का चयन एवं दरों का निर्धारण किया जाकर सेन्टर के लिये मशीनें क्रय की गई है। श्री संजय पाठक, माननीय मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा लेदर इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारम्भ दिनांक 30.01.2017 को किया गया। सेण्टर के सुचारू रूप से संचालन करने हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम, एफ.डी.डी.आई. तथा टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, देवास के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया गया। सेण्टर में दिनांक 01.02.2017 से प्रशिक्षण दिया जाना प्रारंभ हो गया है।

<u>वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम (ISDS)</u>

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से प्रदेश के बेरोजगार युवक/युवतियों के, जो पांचवी कक्षा उत्तीर्ण हों, हेतु वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ISDS योजना अप्रैल, 2015 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य को वित्तीय सत्र 2015-16 एवं 2016-17, इन दो वर्ष की अवधि में 25,000 व्यक्तियों के कौशल विकास का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना में टेक्सटाईल/अपरेल, हेण्डलूम के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रशिक्षण का व्यय केन्द्र शासन एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा वहन किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु 75 प्रतिशत राशि का वहन किया जावेगा, जिसके अन्तर्गत प्रति व्यक्ति अधिकतम रू0 10,000/- की राशि निर्धारित की गई है, शेष 25 प्रतिशत राशि इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी/प्रशिक्षण देने वाली संस्था प्रशिक्षणार्थीयों के लॉजिंग/बोर्डिग एवं छात्रवृति (Stipend) के रूप मे वहन करती है। इस प्रकार हितग्राहियों के लिए यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है। इस प्रशिक्षण की अवधि लगभग 02 माह है। प्रशिक्षण के उपरांत दक्ष युवक/युवतियों को भारत सरकार की टेक्सटाईल कमेटी के असेसर द्वारा मूल्यांकन किया जाता है एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात 70 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित किया गया है तथा प्रशिक्षण देने वाली संस्था (ट्रेनिंग पार्टनर) के निर्धारण के लिए Resource Support Agency Textile committee, Ministry of Textile, Govt. of India द्वारा शर्ते निर्धारित की गई है। इस बाबत वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से अधिकृत संस्था द्वारा निरीक्षण किया जाता है। म.प्र. में वर्तमान में यह कार्य NIFT द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2017 तक लगभग 24664 प्रशिक्षणार्थियों का पंजीयन हुआ है, जिसमें से लगभग 21842 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है एवं 17173 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में वर्तमान में 10 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, प्रोजेक्ट्स व संबंधित सेवाओं के संवर्धन व विकास के लिये आयात-निर्यात हेतु मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेन्टर, मेला परिसर में स्थित है। मूलतः तीन करोड़ लागत की इस योजना को वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी और 1.75 करोड़ का अनुदान केन्द्र ने दिया था। शेष राशि रू. 1.25 करोड़ मेला प्राधिकरण द्वारा देय थी। तीन करोड़ की इस लागत के विरूद्ध रू. 4.25 करोड़ व्यय इसके निर्माण पर हुआ है। उक्त केन्द्रीय अनुदान के अलावा शेष सम्पूर्ण व्यय मेला प्राधिकरण ने वहन किया है। इसमें केन्द्रीय व राज्य के शासकीय व अशासकीय संस्थानों के आयोजन वर्ष भर किये जाते हैं। मेला अवधि में अग्रणी व्यापारिक संस्थायें अपने संयुक्त स्टाल्स लगाते हैं। इससे आय का यही स्रोत मेला प्राधिकरण को है।

मेला परिसर में विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा उनके पंजीकृत शिल्पिओं के लिये कुछ पक्की दुकानें निर्मित हैं, जिनमें देश के हस्तशिल्पी अपनी कला/उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करते हैं। इसे "गांधी हस्त शिल्प प्रदर्शनी" के नाम से जाना जाता है। हस्त शिल्प विभाग अपने स्थानीय सहायक निदेशक के सहयोग से पंजीकृत शिल्पियों को दुकानें आवंटित करता है। विद्युत आदि अन्य व्यवस्थाओं के लिये वित्तीय आवंटन राज्य के हस्त करघा निगम को देता है। यह निगम भी राज्य के शिल्पियों को उनके उत्पादों के विक्रय का यहां अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार यह मेला नियंत्रित और संचालित होता है।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

विभाग स्तर

पदोन्नति/समयमान वेतनमान/क्रमोन्नति/स्थायीकरण

1. शासन आदेश क्रमांक एफ 1(1) 20/2015/सी-ग्यारह, दिनांक 29.01.2016 से 14 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधकों को उप संचालक उद्योग/महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।
2. शासन आदेश क्रमांक एफ 1(1) 39/2015/सी-ग्यारह, दिनांक 15.02.2016 से 02 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधकों को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
3. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-4/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 07.05.2016 से 26 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधकों को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
4. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-4/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 07.05.2016 से 01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक को प्रथम समयमान एवं द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
5. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-9/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 23.07.2016 से 02 उप संचालक महाप्रबंधकों को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया।
6. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-16/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 20.09.2016 से 07 उप संचालक/ महाप्रबंधकों को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
7. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-20/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 28.10.2016 से 01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
8. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-9/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 28.10.2016 से 01 सेवानिवृत्त महाप्रबंधक को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया।
9. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-19/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 20.10.2016 से 01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
10. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-16/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 14.12.2016 से 01 महाप्रबंधक को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
11. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-4/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 14.12.2016 से 05 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधकों को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।

12. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-24/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 14.12.2016 से 04 वरिष्ठ निज सहायकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
13. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-211/2016/बी-तिहत्तर, दिनांक 20.10.2016 से उद्योग संचालनालय द्वारा स्वीकृत 129 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधकों को स्वीकृत द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान की कार्येत्तर स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई।
14. शासन आदेश क्रमांक एफ 1-1/2017/बी-तिहत्तर, दिनांक 13.01.2017 से 14 विभागीय अधिकारियों को सहायक संचालक उद्योग के पद पर स्थायी किया गया।

विभागीय जॉच/लोकायुक्त प्रकरण

विवरण	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतिम निर्णय लिए गए	लंबित प्रकरणों की संख्या
विभागीय जॉच प्रकरण	10	04	06
अपील प्रकरण	06	05	01
लोकायुक्त प्रकरण	07	02	05

सूचना का अधिकार

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग स्तर पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक कुल 36 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 34 आवेदनों का निराकरण किया गया।

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक कुल 03 अपीले प्राप्त हुई, जिनमें से 02 अपीलों का निराकरण किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

दिनांक 01.01.2016 से 31.01.2017 तक

स्थायीकरण

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	471/19.07.2016	03 वाहन चालकों का स्थायीकरण।
2	613/07.09.2016	02 अधीक्षकों का स्थायीकरण।
3	672/13.10.2016	10 सहायक वर्ग-1 का स्थायीकरण।
4	673/13.10.2016	02 सहायक अधीक्षकों का स्थायीकरण।

समयमान वेतनमान

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	100/12.02.2016	02 सहायक वर्ग-2 को तृतीय समयमान वेतनमान
2	105/15.02.2016	06 सहायक वर्ग-2 को द्वितीय समयमान वेतनमान
3	104/16.02.2016	06 स्टेनोटायपिस्ट को द्वितीय समयमान वेतनमान
4	472/19.07.2016	06 वाहन चालकों को तृतीय समयमान वेतनमान
5	474/19.07.2016	06 वाहन चालकों को द्वितीय समयमान वेतनमान
6	475/19.07.2016	06 भृत्यों को तृतीय समयमान वेतनमान
7	485/21.07.2016	01 निज सहायक को द्वितीय समयमान वेतनमान
8	590/01.09.2016	03 सहायक प्रबंधकों को द्वितीय समयमान वेतनमान
9	591/01.09.2016	02 सहायक वर्ग-2 को द्वितीय समयमान वेतनमान
10	612/07.09.2016	03 सहायक वर्ग-3 को द्वितीय समयमान वेतनमान
11	651/21.09.2016	01 सहायक वर्ग-3 को तृतीय समयमान वेतनमान
12	652/21.09.2016	02 सहायक प्रबंधकों को तृतीय समयमान वेतनमान
13	819/21.12.2016	01 निज सहायक को द्वितीय समयमान वेतनमान
14	13/04.02.2017	09 सहायक वर्ग-3 को द्वितीय समयमान वेतनमान
15	24/10.01.2017	01 सहायक वर्ग-3 को प्रथम समयमान वेतनमान
16	25/10.01.2017	01 स्टेनोटायपिस्ट को द्वितीय समयमान वेतनमान

पदोन्नतियाँ

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	232/02.04.2016	लेखापाल से जूनियर ऑडिटर की पदोन्नति

नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	77/06.02.2016	08 सहायक वर्ग-3 का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
2	231/02.04.2016	01 भृत्य का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
3	261/27.04.2016	01 चौकीदार का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
4	279/30.04.2016	01 सहायक वर्ग-3 का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
5	311/17.05.2016	01 सहायक वर्ग-3 का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
6	55-88/06.07.2016	06 भृत्यों का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
7	503/27.07.2016	01 भृत्य का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
8	578/29.08.2016	10 भृत्य का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
9	594/02.09.2016	01 सहायक वर्ग-3 का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
10	595/02.09.2016	01 भृत्य का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
11	690/22.10.2016	01 शीघ्रलेखक का नियमितिकरण एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त
12	58/25.01.2017	11 सहायक प्रबंधकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त

संविलयन/नियुक्ति एवं पुनर्बहाली

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	283/02.05.2016	01 सहायक वर्ग-2 की पुनर्बहाली
2	दिनांक 01 नवम्बर, 2016	29 तिलहन संघ के सेवायुक्तों का सहायक प्रबंधक पद पर संविलियन
3	दिनांक 25 नवम्बर, 2016	06 तिलहन संघ के सेवायुक्तों का सहायक प्रबंधक पद पर संविलियन

अनुकंपा नियुक्तियाँ

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	13/05.01.2016	श्री शैलेन्द्र सिंह की सहायक ग्रेड-3 पद पर अनुकंपा नियुक्ति
2	14/05.01.2016	श्री अनुराग ठाकुर की सहायक ग्रेड-3 पद पर अनुकंपा नियुक्ति
3	239/06.04.2016	श्री सद्दाम खान की भृत्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति
4	549/08.08.2016	श्री आदित्य श्रीवास्तव की सहायक ग्रेड-3 पद पर अनुकंपा नियुक्ति
5	54/24.01.2017	श्रीमती रचना गुर्जर की सहायक ग्रेड-3 पद पर अनुकंपा नियुक्ति

विभिन्न संवर्गो में पदों की स्थिति

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
प्रथम श्रेणी			
01	उद्योग आयक्त	01	01
02	अपर संचालक, उद्योग	6 = (3 + 3)	03
03	संयुक्त संचालक, उद्योग	16 = (8 + 8)	08
04	संयुक्त संचालक, वित्त	01	01
05	महाप्रबंधक/उप संचालक उद्योग	72 = (58 + 14)	63
	योग	**96**	**76**
द्वितीय श्रेणी			
01	प्रबंधक/सहायक संचालक	227 = (212+15)	122
02	वरिष्ठ निज सहायक	09	02
03	प्रशासकीय अधिकारी	01	00
04	लेखा अधिकारी	01	00
	योग	**238**	**124**
तृतीय श्रेणी			
01	सहायक प्रबंधक	330	157
02	अधीक्षक	08	04

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
03	सहायक अधीक्षक	03	03
04	सहायक वर्ग-1	60	41
05	सहायक वर्ग-2	159	126
06	सहायक वर्ग-3	268	175
07	कम्प्यूटर ऑपरेटर (सांख्येत्तर पद)	02	02
08	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	05	02
09	जूनियर ऑडिटर	05	03
10	लेखापाल	64	15
11	निज सहायक	26	09
12	शीघ्रलेखक	79	57
13	स्टेनोटायपिस्ट	90	17
14	वाहन चालक	63	25
15	मिस्त्री (सांख्येत्तर पद)	01	01
	योग	**1163**	**637**
चतुर्थ श्रेणी			
01	सुपरवाइजर	02	01
02	जमादार	01	00
03	दफतरी	01	00
04	भृत्य	228	163
05	चौकीदार	69	32
	योग	**301**	**196**
	महायोग	**1798**	**1033**

स्थानांतरण

वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक स्थानांतरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण	स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण
1	अपर/संयुक्त/महाप्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	10	3
2	प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)	1	5
3	सहायक प्रबंधक (कार्यपालिक तृतीय श्रेणी)	1	1
4	तृतीय श्रेणी	6	8
5	चतुर्थ श्रेणी	1	4

पदक्रम सूची

1. विभिन्न संवर्ग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों की दिनांक 1 अप्रेल, 2015 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची जारी की चुकी है।
2. अराजपत्रित संवर्ग तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदक्रम सूची 01.04.2016 की स्थिति में जारी की जा चुकी है।

पेंशन संबंधी जानकारी

(01 अप्रेल, 2016 से 31 जनवरी, 2017 तक की स्थिति)

क्र.	श्रेणी	पूर्व वर्षो के लंबित प्रकरण	वर्ष 2016-17 में प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	शेष लंबित प्रकरणों की संख्या	रिमार्क
1	प्रथम	30	13	43	33	10	-
2	द्वितीय	03	08	11	08	03	-
3	तृतीय	02	07	09	08	01	न्यायालयीन प्रकरण
4	चतुर्थ	00	00	00	00	00	-
	योग	**35**	**28**	**63**	**49**	**14**	**-**

वर्ष 2016-17 (जनवरी, 2017 तक) में आयोजित प्रशिक्षण :-

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से लगभग 110 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

विभागीय जांच

क्रमांक	श्रेणी	प्रकरणो की संख्या	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	03	01	02
2	द्वितीय श्रेणी	01	01	00
3	तृतीय श्रेणी	04	01	03

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के तीन प्रकरण संचालनालय स्तर पर प्रचलन में है।

न्यायालयीन प्रकरण

उद्योग संचालनालय में 31 जनवरी, 2017 तक विभिन्न न्यायालयों में कुल 1580 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है, जिनमें से अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित 240 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल विभागीय सेवाओं (एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति एवं वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति) के आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उद्योग संचालनालय द्वारा विभागीय मैन्यूअल जारी किया गया है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की गई है एवं प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक 27 अपीलें प्राप्त हुई, जिनमें समस्त निराकृत की गई तथा इसी अवधि में सूचना के अधिकार अंतर्गत 116 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 107 निराकृत किए गए व 9 लंबित है।

सिटीजन चार्टर

परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यकलापों के संबंध में समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में सिटीजन चार्टर भी लागू किया गया है।

ऑडिट

दिनांक 31.01.2017 की स्थिति में महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश की 278 कण्डिकाए निराकरण हेतु उद्योग संचालनालय, म.प्र. के अंतर्गत शेष है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र. लघु उद्योग निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। निगम का संचालन निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में संचालक मण्डल की जनवरी, 2017 तक 03 बैठके आयोजित हो चुकी हैं। कार्यालयीन कार्यों को समय सीमा में निपटाने हेतु निगम में सिटीजन चार्टर लागू किया गया हैं।

शासन के निर्देशानुसार निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है। निगम के अधिनस्थ सभी कार्योलयों से लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी एवं मुख्यालय पर अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं। मुख्यालय, भोपाल में वर्ष 2016-17 (जनवरी, 2017 तक) 107 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसमें से 73 का निराकरण किया जा चुका हैं।

आलोच्य अवधि में राज्य विधानसभा द्वारा निगम से सम्बंधित कोई विधेयक पारित नहीं किया गया है। वर्ष 2016-17 में माह जनवरी, 2017 तक निगम से संबंधित विधानसभा में 26 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनके उत्तर निर्धारित समयावधि में राज्य शासन को प्रेषित किये गये। माह जनवरी, 2017 तक निगम के कुल 144 न्यायालयीन प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित/विचाराधीन हैं।

निगम में कुल 291 नियमित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। निगम में बैकलॉग के पदो के समक्ष 05 कर्मी संविदा/अनुबन्ध पर कार्यरत है ।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

1. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की 33वीं बैठक दिनांक 11.11.2016 को मेले के प्रशासनिक सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री एस. एन. रूपला, आयुक्त ग्वालियर सम्भाग एवं अध्यक्ष, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ने की। इसमें एजेण्डा में शामिल विषयों पर विचार विमर्श किया गया और आवश्यक प्रस्ताव पारित किये गये।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-10/11/बी/2001 दिनांक 28.03.2002 द्वारा मेला परिसर की 15 एकड़ भू-भाग एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क एवं फेमिली रि-क्रियेशन सेन्टर निर्माण हेतु 15 वर्षीय पट्टे पर आबंटित की गई है। आबंटिती श्री व्ही.पी. गर्ग, संचालक रीजेन्सी एग्रो प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, ग्वालियर हैं।

3. विभिन्न न्यायालयों में कुछ प्रकरण अभी विचाराधीन है। जिनमें पैरवी के लिये अभिभाषकों की सेवायें ली जा रही है।

4. ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में वर्ष 2007 में आतिशबाजी मेला के आयोजन में अग्निकाण्ड के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त लगभग 350 पक्की दुकानों के पुनरूद्धार के लिये शासन से मांगी गई मुआवजा राशि रूपये 3.50 करोड़ मे से 2.67 करोड़ राशि लघु उद्योग निगम को प्राप्त हुई है, जिससे निगम द्वारा मेला परिसर में सड़कों का डामरीकरण, पेवर्स लगाना, 50 नवीन दुकानों का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल की ऊंचाई बढाने, नवीन गेट का निर्माण, दुकानों की मरम्मत व रंगाई पुताई एवं पशु मेला क्षेत्र में डिवाईडरो पर ग्रिल लगाने का कार्य पूर्ण कराया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

निगम की हाथकरघा इकाईयों तथा विक्रय केन्द्रों में कार्यरत कुल 545 अधिकारी/कर्मचारियों में से 493 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनांतर्गत सेवामुक्त किया जा चुका है। 20 अधिकारी/कर्मचारी को म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में तथा 06 अधिकारी/कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्य विभागों में उनके संविलियन फलस्वरूप निगम सेवा से कार्यमुक्त किया गया है तथा 24 अधिकारी/कर्मचारियों की सेवायें छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाएं देने हेतु दिनांक 30.9.2004 को निगम सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

न्यायालयीन प्रकरण

निगम की इकाई इंदौर टेक्सटाईलस, उज्जैन एवं अवंति सूत मिल, सनावद के पूर्व श्रमिकों तथा निगम से संबंधित लगभग 207 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है।

अंकेक्षण

निगम के वर्ष 2007-2008 के लेखा विधान-सभा पटल पर दिनांक 23.02.2017 को पटलित किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखाओं का अंतिमिकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 का अंतिमिकरण कार्य प्रक्रिया अंतर्गत है।

भाग-पांच

अभिनव योजना

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल :- प्रदेश में एम.एस.एम.ई. के फेसिलिटेशन हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल का गठन करने की घोषणा की गई है। फेसिलिटेशन सेल के जरिए एमएसएमई इकाईयों को शासन की नीतिओं पर मार्गदर्शन, सुविधा एक स्थान पर मिलेगी। इस फेसिलिटेशन सेल में 20 कंसलटेंट कार्य करेंगें तथा उद्योग संचालनालय, म. प्र. में इन कंसलटेंट के मार्गदर्शन हेतु विषय विशेषज्ञों का 'हब' बनाया जाएगा। इन कंसलटेंट को 20 जिलों में पदस्थ किया जायेगा और आस-पास के जिलों का दायित्व इन्हें दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक माह में सभी जिलों में इनकी पूर्व निर्धारित बैंठके एमएसएमई के साथ आयोजित होगी। इस प्रकार सभी 51 जिलें इन कंसलटेंट को आवंटित कर सभी जिलों में 'एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेण्टर' स्थापित कर इनके जरिए फेसिलिटेशन का कार्य किया जायेगा। उद्योग संचालनालय, म.प्र. में एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल (हब) 1 मार्च, 2017 से प्रारंभ हो गया है।

एग्जिबिशन सेण्टर :- प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर तथा सतना में एग्जिबिशन सेण्टर बनाए जाएगे। इन एग्जिबिशन सेण्टरों में एमएसएमई के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

- म.प्र. लघु उद्योग निगम में नवीन ऑनलाईन इण्डेंट तथा सप्लाई आर्डर जारी किये जाने संबंधी व्यवस्था दिनांक 01.10.2015 से लागू की गई है ।
- **अन्य** :-
  1. नवीन वेबसाईट www.mpsme.in प्रारम्भ की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्य निर्यातकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ।
  2. निगम द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग, मंत्रालय की इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के अंतर्गत जबलपुर में रू. 55.58 करोड़ की लागत से रेडीमेड गारमेंन्ट काम्पलेक्स की स्थापना की कार्यवाही पूर्णता पर है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के निरंतर प्रयास से वर्ष 2016-17 में विकास आयुक्त हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा क्राफ्ट बाजार लगाने हेतु आदेश प्रदान किया है।

भाग - छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

उद्योग संचालनालय, म. प्र. द्वारा "मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति-2016" और "दृष्टि पत्र" (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, मध्यप्रदेश) की पुस्तिकाएं मुद्रित कराई गई है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पुस्तिकायें तथा 'ब्रोशर' पुनः मुद्रित कराए गए है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा सामान्यतः किसी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया जाता है, तथापि निगम द्वारा अपनी गतिविधियों, उत्पादों के "ब्रोशर" एवं कैटलॉग मुद्रित कराये जाते हैं।

भाग - सात

सारांश

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

उद्योग संचालनालय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा स्थापित एमएसएमई को विभिन्न अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योगों को सुदृढ़ करने का व उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न स्वरोजगार योजना जैसे- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाते हैं। प्रदेश के सर्वांगीण व समुचित औद्योगिक विकास हेतु मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014, मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति -2016 एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 क्रियान्वित किये जा रहे है।

विभाग द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए वित्तीय व्यवस्था को आसान व सुलभ बनाया जाना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधन एवं स्थानीय कौशल के दोहन पर विशेष बल दिया जाना, प्रदेश के भीतर और दूसरे प्रदेशों के साथ बाजारों की नेटवर्किंग की जाना, उद्योग एवं औद्योगिक विकास के उन्नयन की व्यवस्था तथा गैर कृषि ग्रामीण उद्यमिता को सम-उन्नत, संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाये जाने का भी कार्य किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र.लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण एवं विकास में निरन्तर संलग्न है। निगम लघु उद्योगों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराकर तथा उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति कर के उनके उत्थान में सतत् प्रयत्नशील है। निगम द्वारा प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित अपने एम्पोरियमों के माध्यम से बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रदर्शन एवं विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा चंदेरी, महेश्वरी, कोसा इत्यादि साड़ियां बड़ी मात्रा में सीधे बुनकरों से क्रय कर उन्हें कम से कम अवधि में भुगतान कर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। निगम का तकनीकी विभाग लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के परीक्षण व इनकी गुणवत्ता नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। म.प्र. लघु उद्योग निगम निरन्तर अपनी 'उत्पादकता' बढ़ाने में प्रयासरत है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेला, राष्ट्रीय स्तर का मेला है, जो देश के अन्य प्रदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। मेला आयोजन के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अति-आकर्षित एवं सराहनीय होते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 31.10.2000 के निगम को बंद करने के आदेश जारी किये गये थे। आदेश का क्रियान्वयन करते हुये निगम द्वारा संचालित समस्त हाथकरघा इकाइयों एवं बिक्री केन्द्रों और संचालित मिल को बंद कर दिया गया है। वस्त्रों के विपणन व्यवस्था हेतु चलाये जा रहे, समस्त केन्द्र भी बंद कर दिये गये हैं। निगम की स्थायी संपत्तियां उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म. प्र. को असाइनमेंट डीड द्वारा हस्तांतरित कर दी गई है।

म.प्र. पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के विभाजन के संबंध में श्री आर.पी.कपूर की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक उपक्रम समिति की बैठक दिनांक 10.01.2005 में निगम की छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित संपत्तियों का विभाजन म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य हो चुका है। जिसमें निगम की छत्तीसगढ़ में स्थित संपत्तियों-भूमि, वाहन, फर्नीचर/फिक्चर्स एवं कपड़े के स्कंध आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर से इस निगम को राशि रू. 188.69 लाख का भुगतान तीन किश्तों में किया जाय, जिसकी प्रथम किश्त माह मई 2005 में इस निगम को प्राप्त होनी थी, किन्तु आज दिनांक तक किसी भी किश्त का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर से प्राप्त नहीं हुआ है। निगम द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु निरंतर पत्राचार किया जा रहा है।

अवंति सूत मिल, सनावद की परिसंपत्तियों का विक्रय मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार अध्यक्ष, अवंति सूत मिल वर्कर्स सोसायटी को किया गया है तथा संपत्तियां भी भौतिक रूप से सोसायटी को सौंपी जा चुकी है। मिल की 12.382 हैक्टयर खुली भूमि 30 वर्ष की लीज पर दिनांक 29.04.2016 को सोसायटी को दे दी गई है।

निगम की संपत्तियों के निराकरण के पश्चात कंपनी अधिनियम 1956 के लीज पत्र प्रावधानों के अनुसार निगम का स्वैच्छिक परिसमापन किया जावेगा।

भाग - आठ

मध्यप्रदेश की महिला नीति अनुसार वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में महिलाओं के लिये किये गये कार्यों पर अलग से खण्ड

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

1. स्वरोजगार योजनाए :-

उद्योग संचालनालय अंतर्गत महिलाओ के आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से संचालित विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओ के तहत महिलाओं को भी लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक स्वरोजगार योजनाओं अंतर्गत लाभांवित महिलाओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	लाभांवित महिलाएं
1	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	240
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	1984
3	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	70

2. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में जनवरी, 2017 तक 626 महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया।

3. महिला प्रकोष्ठ का गठन :-

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अधिकाधिक हो इस हेतु जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा प्रदाय आदेश प्रदान करने में "महिला उद्यमियों" को प्राथमिकता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जनवरी, 2017 तक 49 महिला उद्यमियों को कुल रू. 46.91 करोड़ की विपणन सुविधा प्रदान की गई है।

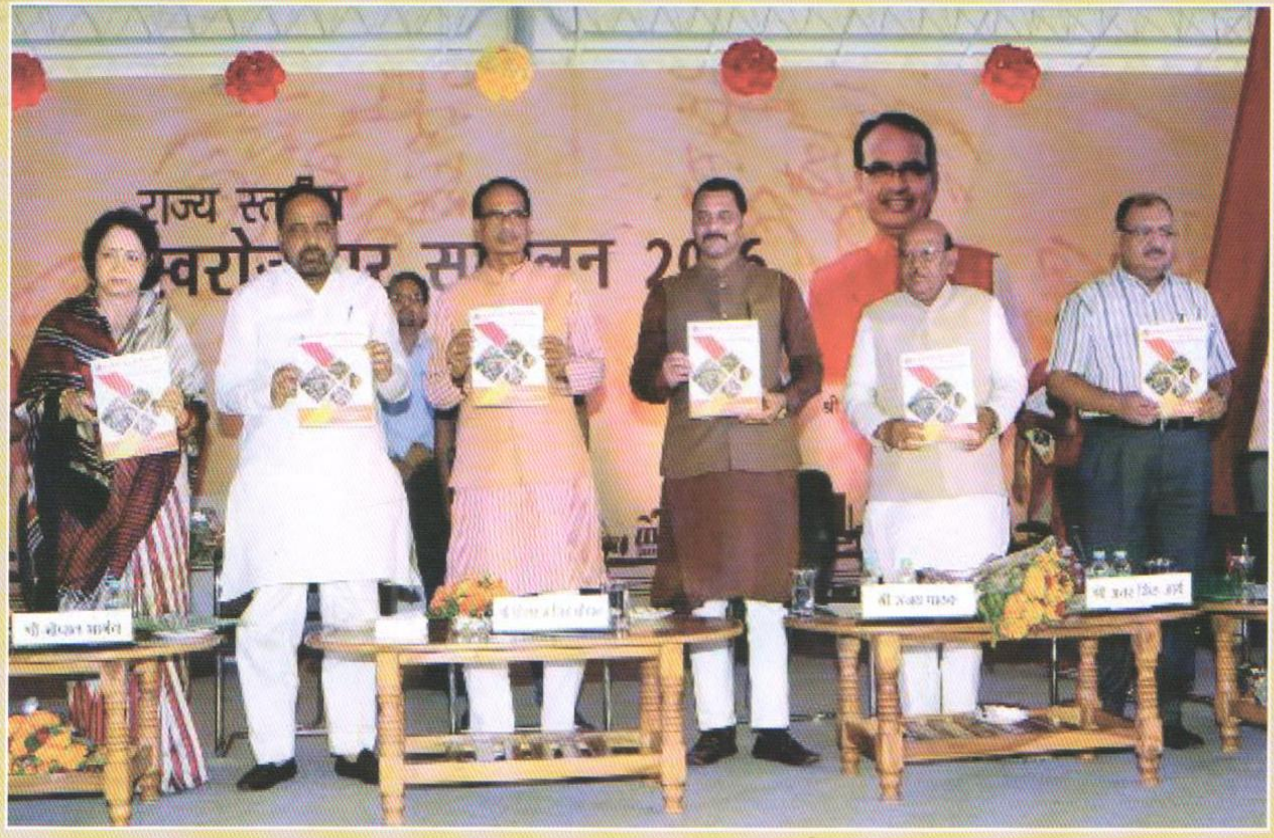

TATA
EDI

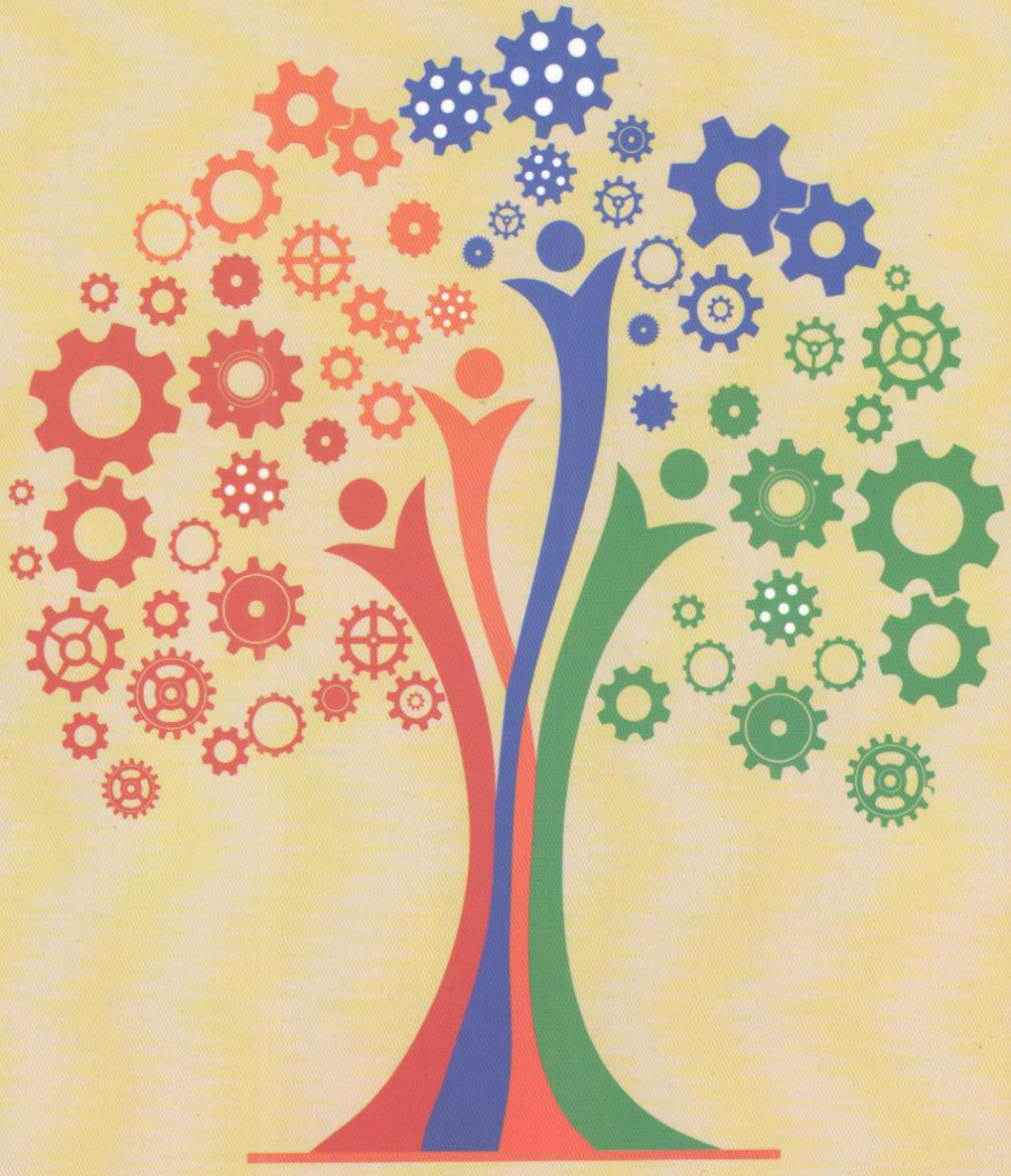

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश माध्यम/2017
नियो प्रिन्टर्स, भोपाल